संख्या–1689 / आठ–1–2009–10विविध / 04

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ,
उत्तर प्रदेश।

ावास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 03 जून 2009**

विषयः–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1704 / 9–आ–1–1996, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 एवं शासनादेश संख्या–231 / 9–आ–1–99, दिनांक 01 फरवरी, 1999 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2– इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी शैक्षणिक संस्था जिनको उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित हैं या आवंटित किये जा रहे हैं, को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना तथा उन्हें निर्धारित कुल देय फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना अनिवार्य होगा।

3– अतः यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
9. निदेशक, अनुश्रवण, आवास बन्धु, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव ।